IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 779 OF 2022

IN THE MATTER OF:

DEVVRAT BHARDWAJ ...Applicant

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...Respondents

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Factual and action taken report in compliance with Order dated 18.01.2023 of this Hon'ble Tribunal along with supporting affidavit on behalf of Respondent No. 4 – Meerut Development Authority	1 - 11
2.	**ANNEXURE – R 1** A true copy of the demolition order dated 10.02.2023 issued by the Respondent.	12
3.	**ANNEXURE – R 2** A true copy of a letter dated 03.04.2023 along with the report of SHO dated 15.04.2023	13-14
4.	**ANNEXURE – R 3** A true copy of a letter dated 21.04.2023 along with the report of SHO dated 17.05.2023	15-16
5.	**ANNEXURE – R 4** A true copy of a letter dated 01.06.2023	17
6.	**ANNEXURE – R 5** A true copy of a letter dated 28.06.2023 along with the office letter Additional Superintendent of Police City, Meerut dated 07.07.2023	18-19
7.	**ANNEXURE – R 6** A true copy of a letter dated 14.08.2023 along with the report of SHO dated 24.08.2023	20-21
8.	**ANNEXURE – R 7** A true copy of a letter dated 15.09.2023	22

NEW DELHI

DATE:03.10.2023 FILED BY

RACHIT MITTAL
Advocate for Respondent No. 4
RM Law Chambers,
MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida, U.P.
E-mail: office@rmlawchambers.in
Office Phone: 0120 – 4998794
Mob: 9873997047

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 779 OF 2022

IN THE MATTER OF:

DEVVRAT BHARDWAJ ...Applicant

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...Respondents

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 18.01.2023 OF THIS HON'BLE TRIBUNAL ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 04 – MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the above captioned application has been filed by the Applicant seeking certain directions against the illegal construction and encroachment which were made on the reserved land for park/open area as per the issued layout plan of Madhur Enclave, Meerut and other reliefs.
2. That Respondent No. 4 **(hereinafter referred to as Respondent)** filed a reply to the abovecaptioned application on 12.11.2022, wherein the following actions were taken by Respondent No.4 were mentioned:

   "(1) The layout plan of Madhur Enclave, Near Pallavpuram Phase-1, Roorkee Road, Meerut was approved by the answering respondent vide Map No. 14/2010. As per the said layout, the area under parks was sanctioned as 2,590.00 sq. mtrs. out of the total area of site of 18,860.00 sq. mtrs.

(1) It was brought to the notice of the answering Respondent that in the said colony, some miscreants residing in the said colony tried to raise illegal construction in the land earmarked for park in front of Plot Nos. 81 and 64 near the main entrance gate. After gathering the said information, the answering Respondent at numerous instances got the work of illegal construction stopped at the site.

(I) On 28.09.2022, the applicant along with Mr. Anil Jain raised a complaint addressed with answering Respondent regarding illegal construction at the site which was earmarked for Park.

(iv) After receipt of the complaint, the answering Respondent vide letter dated 01.10.2022 apprised the Respondent No. 03 about the situation that some residents of the colony are trying to raise Illegal construction in the form of temple in the area earmarked for park in the colony. It was requested that the appropriate action may be taken so that the peace, law and order is not disturbed in the said area.

(v) The answering Respondent issued a show cause notices dated 01.10.2022 to the developer i.e. M/s. Madhur Infra Developers Pvt. Ltd. under Section 26, 26(a), 27 and 28 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 seeking response as to why the order of demolition and actions may not be taken against the developer for illegal construction.

(vi) The answering Respondent wrote a letter dated 01.10.2022 to the Station House Officer, P.S. Pallavpuram, Meerut requesting to get the illegal construction stopped at site.

(vii) The answering Respondent again issued a notice dated 03.10.2022 addressing developer and other persons to stop the Illegal construction at the said land.

(viii) The answering Respondent issued the show cause notice dated 07.10.2022 to the developer as to why the illegal construction raised may not be sealed.

(ix) Since developer did not turn up pursuant to various notices, the answering Respondent passed the sealing order under Section 28 (a)(1) of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 on 07.11.2022. It is pertinent to mention here that as per the said order, the date of sealing the unauthorized construction is fixed as 18.11.2022 and the same will be done subject to availability of the police force in order to carry out the sealing peacefully.

The answering Respondent thereafter wrote a letter dated 09.11.2022 addressing the Respondent No. 02 Informing that the sealing order has been passed and the sealing would be done on 18.11.2022 subject to the availability of the police force.".

3. That the Respondent on 23.11.2022 with the support of the police force sealed the illegal structure pursuant to its sealing order dated 07.11.2022 under Section 28 (a)(1) of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 and requested the Station Head Officer, Pallavpuram to take the area under its control and secure the same and ensure the public peace.

4. That Respondent brought to the knowledge of this Hon'ble Tribunal about the abovementioned compliance by filing an additional reply affidavit along with the photographs of the sealed premises on 05.12.2022 and the same were taken on record by this Hon'ble Tribunal vide order dated 06.12.2022.

5. That the abovecaptioned matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 18.01.2023, wherein this Hon'ble

Tribunal has issued the demolition orders qua the illegal construction and encroachment and pleased to issue certain directions to Respondent, the operative portion of the order dated 18.01.2023 is as under:

".....

16. Under the provisions of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 no construction can be raised in Meerut without taking requisite permission from Meerut Development Authority and any construction raised without such permission is liable to be demolished. The Uttar Pradesh Parks, Play Grounds and Open Spaces (Prevention and Regulation) Act, 1975 also mandates protection of the parks/open spaces. No construction could be raised on land reserved for park/green belt in front of plot no. 81 and 64 near the main entrance gate between 9 meters wide road in the north and 12 meters road in the south and, therefore, construction illegally raised over the same is liable to be demolished.

17. We appreciate that respondent no. 4-Meerut Development Authority, being vigilant in discharge of its duties, had initiated action on complaint made by the applicant although contemplated remedial action could not be completed till the present application was filed. In view of the provisions of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, the Uttar Pradesh Parks, Play Grounds and Open Spaces (Prevention and Regulation) Act, 1975 and the directions issued by the Hon'ble Supreme Court, Meerut Development Authority is directed to take requisite action for demolition of illegal construction raised on the land of the park/green belt in front of plot no. 81 and 64 near the main entrance gate between 9 meters wide road in the north and 12 meters road in

the south in accordance with law within three months and respondents no. 1,2, 3, 5 and 6 are directed to provide requisite support including deployment of Police/Armed Police as may be required for the purpose.

..........."

6. That the present factual and action taken report is being filed by Respondent in compliance of the order dated 18.01.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.

7. It is to bring to the kind knowledge of this Hon'ble Tribunal that Respondent issued the demolition orders of illegal construction on the questioned site vide its letter no. 215/22/2023 on 10.02.2023 wherein, the Respondent ordered the developer to remove the said illegal structure and inform the Respondent back within 15 days of receipt of this order failing which the said illegal construction will be demolished. A true copy of the demolition order dated 10.02.2023 issued by the Respondent is annexed and marked as **ANNEXURE – R-1**

8. That the Respondent vide letter dated 03.04.2023 requested the appointment of a Magistrate and deployment of Police Force/Women Constable or P.A.C Police force at Police Station, Pallavpuram, Meerut on 15.04.2023. However, the SHO Pallavpuram, Meerut vide his report dated 15.04.2023, stated the inadequacy of the Police Force due to the Mahapanchayat and Municipal

Elections 2023, in the Daraula area of Meerut due to which the code of conduct was implemented and requested for the next date to be fixed for the demolition. A true copy of a letter dated 03.04.2023 along with the report of SHO dated 15.04.2023 is annexed and marked as **ANNEXURE – R-2**

9. Thereafter the Respondent vide letter dated 21.04.2023 has fixed another date i.e., on 17.05.2023, and requested the appointment of a magistrate and police force but again SHO, Pallavpuram, Police Station vide his report dated 17.05.2023 mentioned that since the site in question is related to the religious sentiments, more police force would be required. Thus, again due to lack of sufficient police force, the demolition could not conducted on the very second date. A true copy of a letter dated 21.04.2023 along with the report of SHO dated 17.05.2023 is annexed and marked as **ANNEXURE – R-3**

10. That the Respondent again vide letter dated 01.06.2023, fixed another date i.e., 15.06.2023 and requested the presence of a magistrate and police force for the demolition of the site in question but due to continuous protest of the locals and demand of some further time by the locals the respondent was again unable to execute the

demolition. A true copy of a letter dated 01.06.2023 is annexed and marked as **ANNEXURE – R-4**

11. That the Respondent *de novo* with the intent of executing its demolition order vide letter dated 28.06.2023 requesting the presence of a Magistrate and deployment of Police Force/Women Constable or P.A.C Police force at Police Station, Pallavpuram, Meerut on 15.07.2023 so that the demolition can be done at this time but the Additional Superintendent of Police City, Meerut through his office letter informed that in view of the security arrangements for the Kavan Yatra 2023 in the month of Shravan, the most of the police force are on the duty during this period of Kavan Yatra. Thus, once again the demolition of the questioned site was postponed due to the non-availability of the Police force. A true copy of a letter dated 28.06.2023 along with the office letter of Additional Superintendent of Police City, Meerut dated 07.07.2023 is annexed and marked as **ANNEXURE – R-5**

12. Thereafter, fixing another date for the demolition of illegal construction and encroachment the Respondent vide a letter dated 14.08.2023, requesting the appointment of a Magistrate and deployment of Police Force/Women Constable or P.A.C Police force at Police Station,

Pallavpuram, Meerut on 24.08.2023 for completion of demolition peacefully. The SHO, Pallavpuram Police Station, Meerut vide his report dated 24.08.2023 informed the Respondent that due to the unavailability of the Magistrate, Meerut on 24.08.2023, the demolition process could not be conducted. A true copy of a letter dated 14.08.2023 along with the report of SHO dated 24.08.2023 is annexed and marked as **ANNEXURE – R-6**

13. That, by the reasons of the aforementioned circumstances i.e., on the inadequacy of the police force by the Superintendent of Police, Meerut, the execution of the demolition order dated 10.02.2023 has been delayed and it is pertinent to mention that at present the Respondent vide letter dated 15.09.2023, addressing the District Magistrate, Meerut and Superintendent of Police, Meerut, wherein the execution of demolition order of illegal construction on the questioned site, on 04.10.2023 at 10:00 A.M., the concerned have been requested to appoint a Magistrate and to provide an adequate number of Police Force, P.A.C Police and Women Police Force at Police Station, Pallavpuram, Meerut so that the demolition can be completed peacefully. A true copy of a letter dated 15.09.2023 is annexed and marked as **ANNEXURE – R-7**

14. It is submitted that the Respondent has always been vigilant in exercising its duties and fulfilling its responsibilities with due care and consciousness at all times and also has been complying with the Orders/Directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Respondent further undertakes to comply with any direction passed by this Hon'ble in course of the proceedings.

It is most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may please take aforesaid fact and action taken report on record.

NEW DELHI
DATE: 03.10.2023

FILED BY:

RACHIT MITTAL
Advocate for Respondent No. 4

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 779 OF 2022

IN THE MATTER OF:

DEVVRAT BHARDWAJ ...Applicant

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...Respondents

AFFIDAVIT

I, Arpit Yadav S/o Shri Suresh Chandra aged about 27 years working as AE/ Zonal Enforcement Officer, Meerut Development Authority, Meerut, U.P., presently at Noida do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I, in aforesaid capacity, is well conversant with the facts and circumstances of the case derived from information from the official records. Hence, I am competent to swear this affidavit.
2. That I have read and understood the contents of the accompanying factual and action taken report. I state that the facts stated therein are true to my knowledge derived from the official record.

NOTARIAL GOVT. OF INDIA

3. That the annexures are true copies of their respective originals.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the abovenamed deponent do, hereby verify that the contents of this affidavit from paragraphs 1 to 3 are true to my knowledge. Nothing material has been suppressed. So, help me, God.

Verified on this 03 day of October, 2023 at Noida.

DEPONENT

NOTARY
Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Reg. No-13478
GOVT OF INDIA

ATTESTED
Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Reg. No-13478

03 OCT 2023

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 215/22 /2023 /प्रवर्तन खण्ड जोन बी-2 दिनांक : 10/2/23

ध्वस्तीकरण आदेश

क्षेत्रीय अवर अभियन्ता **श्री वेदप्रकाश अवस्थी** ने अपनी प्रतिवेदन/चालानी रिपोर्ट दिनांक **01–10–2022** में यह आख्या प्रस्तुत की थी, कि **मै0 मधुर इन्फा डवलपर्स प्रा0लि0 C/O श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या 561, 562(P) मुकर्रबपुर पल्हेडा रूडकी रोड, मेरठ** पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना लगभग 120 वर्ग फुट क्षेत्रफल में स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 14/2010 के विपरीत पार्क हेतु चिन्हित भूमि पर एक कमरे के निर्माण हेतु आर0सी0सी0कॉलम के साथ चिनाई का कार्य किया जा रहा है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी निर्माणकर्ता पर उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27 के अन्तर्गत वाद संख्या 215/22 संस्थित करते हुए कारण बताओ नोटिस एवं कार्य रोको आदेश दिनांक **01–10–2022** में जारी किये गये। विपक्षी को सुनवाई हेतु दिनांक **10–10–2022** निर्धारित करते हुए नोटिस जारी किया गया। नियत तिथि पर न तो निर्माणकर्ता उपस्थित हुए और न ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर मानचित्र/अभिलेख प्रस्तुत किये।

विपक्षी द्वारा उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण से उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–14 का उल्लंघन होता है। उक्त अवैध निर्माण पार्क की भूमि में किया गया है, जिसमें भा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 779/2022 देवव्रत भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित किया गया है। उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।

अतः उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–27(1) के अन्तर्गत विपक्षी/निर्माणकर्ता **मै0 मधुर इन्फा डवलपर्स प्रा0लि0 C/O श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर** को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उक्त निर्माण कार्य को हटाकर इस कार्यालय को सूचित कर दें, अन्यथा उक्त अवैध निर्माण को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् ध्वस्त करा दिया जायेगा और इसपर होने वाला व्यय आपसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

10/02/23

जोनल अधिकारी जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि :
मै0 मधुर इन्फा डवलपर्स प्रा0लि0 C/O श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या 561, 562(P) मुकर्रबपुर पल्हेडा रूडकी रोड, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

जोनल अधिकारी जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

तामील कराई
14-2-23

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 215/22 /प्रवर्तन खण्ड जोन–बी–2/23 दिनांक: 3/4/23

प्रेषक:

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

1– जिलाधिकारी,
मेरठ।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

विशय:– **मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 C/O श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या– 561, 562(P) मुकर्रबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ पर किये गये अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 C/O श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या– 561, 562(P) मुकर्रबपुर पल्हैडा रूडकी रोड,** थाना–पल्लवपुरम, मेरठ पर **लगभग 120 वर्ग फीट में भूतल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 14/2010 के विपरीत चिन्हित पार्क में एक कमरें के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य किया जा रहा है,** जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की धारा–27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या 215/22 संस्थित करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 10.02.2023 में पारित किये जा चुके है। प्रासंगिक क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु **दिनांक** 15.4.23 को प्रातः 11.00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियत तिथि पर **थाना पल्लवपुरम, मेरठ** में एक मजिस्ट्रेट तैनात करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल/महिला कांस्टेबल व पी0ए0सी0 पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पादित करायी जा सके।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस क्षेत्राधिकारी, दौराला, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. थानाध्यक्ष, थाना **पल्लवपुरम,** मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त जोनल अधिकारी/समस्त नोडल अधिकारी/समस्त अवर अभियन्ता, समस्त अनुचर/मेट जोन–बी को मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही कराने हेतु।
5. नाजिर मे0वि0प्राधि0 मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि पर प्रातः 11.00 बजे जे0सी0बी0 एवं प्रवर्तन स्टाफ हेतु 2 वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी विद्युत वाहन मय इलैक्ट्रिशियन के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

रिपोर्ट द्वि० पल्लवपुरम मेरठ

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि संलग्न पत्रा॰ सम्बन्धी के अतिक्रमण हेतु बल थाना-दौराला मेरठ में महापंचायत व आगामी नगर निकाय चुनाव-2023 के होने के कारण आचार संहिता लागू है इस कारण बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अग्रिम तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

1/5/23

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्रकरण संख्या 215/22/प्रवर्तन खण्ड–जोन–बी–2/23 दिनांकः 21/4/23

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

1– जिलाधिकारी,
मेरठ।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मेरठ।

विषय : **मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओप्रकाश मधुर द्वारा** खसरा संख्या 561, 562(P) मुकर्रबपुर पल्हेडा रूडकी रोड मेरठ पर किये गयें निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओप्रकाश मधुर** द्वारा खसरा संख्या 561, 562(P) मुकर्रबपुर पल्हेडा रूडकी रोड मेरठ पर लगभग 120 वर्ग फीट में भूतल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 14/2010 के विपरीत चिन्हित पार्क में एक कमरे के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की धारा–27, 28 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या 215/22 संस्थित करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 10–02–2023 में पारित किये जा चुके हैं, जिनके कियान्वयन हेतु दिनांक 15–04–2023 निर्धारित की गयी थी। निर्धारित तिथि पर थानाध्यक्ष, थाना पल्लवपुरम द्वारा दौराला मेरठ क्षेत्र में महापंचायत होने तथा आगामी नगर निकाय चुनाव, 2023 होने के कारण आचार संहिता लागू है। इस कारण उक्त तिथि पर पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नही की जा सकी। प्रासंगिक क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु दिनांक 17.5.23 को प्रातः 11.00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियत तिथि पर थाना पल्लवपुरम, मेरठ में एक मजिस्ट्रेट तैनात करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल/महिला कॉन्सटेबल व पी0ए0सी0 पुलिस उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पादित करायी जा सकें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि –

1– उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– पुलिस क्षेत्राधिकारी, दौराला, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– थानाध्यक्ष, थाना पल्लवपुरम,. मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– समस्त जोनल अधिकारी व प्रवर्तन स्टाफ (मेट/अनुचर) को निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को सील किये जाने में सहयोग करने हेतु ।
5– नाजिर, मे0वि0प्रा0 मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि पर प्रातः 11.00 वजे जे0सी0बी0 एवं प्रवर्तन स्टाफ हेतु 2 वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6– प्रभारी अधिकारी–विद्युत को इलैक्ट्रिशियन मय वाहन के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

<u>रिपोर्ट थाना-पल्लवपुरम मेरठ</u>

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि मौके की ठीक के साथ मौके पर मुआयना किया गया, तो सम्बंधित प्रकरण मन्दिर (धार्मिक प्रथाहि) का होने के कारण शान्तीकरण हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

SHO
17.8.23

थाना-पल्लवपुरम
जनपद-मेरठ

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 215/22/प्रवर्तन खण्ड जोन–बी–2/23 दिनांकः 01/6/23

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

1–जिलाधिकारी,
मेरठ।

2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मेरठ।

विषयः–मै0 मधुर इन्फा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या 561, 562 (P) मुकर्रबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ पर किये गये निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **मै0 मधुर इन्फा डवलपर्स प्रा0लि0** द्वारा **श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओप्रकाश मधुर** द्वारा खसरा संख्या 561, 562 (P) मुकर्रबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ पर लगभग 120 वर्ग फुट में भूतल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 14/2010 के विपरीत पार्क में एक कमरे के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कालम के साथ चिनाई का कार्य किया जा रहा था,जिसके विरूद्व प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा ससोधित) की धारा–27, 28 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या 215/22 संस्थित करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 10.02.2023 में पारित किये जा चुके है, जिनके क्रियान्वयन हेतु दिनांक–15.04.2023 एव 17.05.2023 निर्धारित की गयी थी निर्धारित तिथियों पर किन्ही कारण वंश थानाध्यक्ष, थाना पल्लवपुरम द्वारा दौराला मेरठ क्षेत्र में महापचांयत होने तथा आगामी नगर निकाय चुनाव 2023 होने के कारण आचार संहिता लागू है। तथा दिनांक–17.05.2023 को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नही हो सकी। प्रसांगिक क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु दिनांक–15-6-23 को प्रात 11.00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

अतः नियत तिथि का थाना पल्लवपुरम, मेरठ के एक मजिस्ट्रेट तैनात करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल/महिला कॉन्सटेबल व पी0ए0सी0 पुलिस उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पादित करायी जा सके।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस क्षेत्राधिकारी, **दौराला**, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. थानाध्यक्ष, थाना **पल्लवपुरम**, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त जोनल अधिकारी/समस्त अवर अभियन्ता, समस्त अनुचर/मे0 जोन ए.बी.सी तथा डी को मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही कराने हेतु।
5. नाजिर मे0वि0प्राधि0 मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि पर प्रातः 11.00 बजे जे0सी0बी0 एवं प्रवर्तन स्टाफ हेतु 2 वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी–विद्युत को इलैक्ट्रिशियन मय वाहन के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

03/06/23

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 215/22 /प्रवर्तन खण्ड जोन–बी–2/23 दिनांकः 28/6/23

प्रेषकः

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

1— जिलाधिकारी,
मेरठ।

2— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

विषयः— मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या–561, 562(P) मुकर्रबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ पर किये गये अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या–561, 562(P) मुकर्रबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, थाना–पल्लवपुरम, मेरठ पर लगभग 120 वर्ग फीट में भूतल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 14/2010 के विपरीत चिन्हित पार्क में एक कमरें के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की धारा–27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या 215/22 संस्थित करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 10.02.2023 में पारित किये जा चुके है। प्रासंगिक क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु दिनांक 15.7.23 को प्रातः 11.00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियत तिथि पर थाना पल्लवपुरम, मेरठ में एक मजिस्ट्रेट तैनात करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल/महिला कांस्टेबल व पी0ए0सी0 पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पादित करायी जा सके।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि—

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस क्षेत्राधिकारी, दौराला, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. थानाध्यक्ष, थाना पल्लवपुरम, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त जोनल अधिकारी/समस्त नोडल अधिकारी/समस्त अवर अभियन्ता, समस्त अनुचर/मेट जोन–बी को मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही कराने हेतु।
5. नाजिर मे0वि0प्राधि0 मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि पर प्रातः 11.00 बजे जे0सी0बी0 एवं प्रवर्तन स्टाफ हेतु 2 वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी विद्युत वाहन मय इलैक्ट्रिशियन के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

कार्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) जनपद मेरठ।

पत्रसंख्याः एसटी-एसपीसी-अन्य/23 दिनांकः जुलाई 2023

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
जनपद मेरठ।

कृपया अपने पत्र संख्याः 215/22/प्रवर्तन खण्ड जोन-बी-2/23 दिनांक 28.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मैसर्स इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्याः- 561, 562पी मुकर्रबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ पर किये गये अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु दिनांक 15.07.2023 को पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्रावण मास-2023 में कांवड यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अधिकांश पुलिस बल की ड्यूटी कांवड यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु लगायी गयी है, जिस कारण उक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु नियत तिथि पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना समीचीन नहीं होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु कावंड यात्रा के उपरान्त की कोई अन्य तिथि नियत करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोपरि।

(पीयूष सिंह)
अपर पुलिस अधीक्षक नगर
जनपद मेरठ।

प्रतिलिपिः-

1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2- क्षेत्राधिकारी दौराला जनपद मेरठ को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।
3- थाना प्रभारी पल्लवपुरम मेरठ को आ0का0 हेतु।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 215/22 /प्रवर्तन खण्ड जोन–बी– /2023 दिनांकः 14 .08.2023

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

1–जिलाधिकारी,
मेरठ।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मेरठ।

विषयः–थाना–पल्लवपुरम क्षेत्रान्तर्गत मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलर्स द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या–561, 562/(पी) मुकर्रबपुर पल्हैडा, रूडकी रोड, मरेठ पर किये गये अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि **मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलर्स द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या–561, 562/(पी) मुकर्रबपुर पल्हैडा, रूडकी रोड, मरेठ** पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत लगभग 120 वर्ग फीट भूतल पर चिन्हित पार्क में एक कमरे के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की धारा–26,27 व 28 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस/कार्य रोको आदेश प्रेषित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा न तो स्थल से सम्बन्धित स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध कराये गये है और न ही ले–आउट प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत निर्माण के विरूद्ध दिनांक–10.02.2023 को ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किये जो चुके थे। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को क्रियान्वन किये जाने हेतु दिनांक–15.07.2023 की तिथि निर्धारित की गयी थी। परन्तु पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण ध्वस्तीकरण नही हो सका। जिस हेतु पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को क्रियान्वन किये जाने हेतु पुनः दिनांक–24.08.23 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन हेतु दिनांक–24.08.23 को प्रातः10:00 बजे थाना–पल्लवपुरम, मेरठ में मजिस्ट्रेट नामित करते हुए, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पी0ए0सी0 पुलिस व महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण रूप से पूर्ण करायी जा सकें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर/देहात) को नियत तिथि पर मजिस्ट्रेट नामित करने हेतु।
3. पुलिस क्षेत्राधिकारी, पल्लवपुरम, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. थानाध्यक्ष–पल्लवपुरम, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त उप प्रभारी प्रवर्तन, समस्त अनुचर/मेट को मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।
6. नाजिर मेरठ विकास प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि पर प्रातः10:00 बजे जे0सी0बी0 एवं प्रवर्तन स्टॉफ हेतु वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

थाना–पल्लवपुरम 18/8/23

कार्यालय जिलाधिकारी ई० आर० के० अनुभाग मेरठ

18/8/23

Kabil 18/8/23

रिपोर्ट थाना-पल्लवपुरम मेरठ

महोदय,

आज दि० 24/08/23 को ध्वस्तीकरण हेतु MDA द्वारा मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण ध्वस्तीकरण नहीं हो सका।

थाना-पल्लवपुरम

24/8/23

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 215/22 /प्रवर्तन खण्ड जोन-बी- /2023 दिनांकः 15.09.2023

प्रेषक,
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,
1-जिलाधिकारी,
मेरठ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मेरठ।

18/09/2023 -12:45pm

विषय-थाना-पल्लवपुरम क्षेत्रान्तर्गत मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलर्स द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या-561, 562/(पी) मुकर्रबपुर पल्हैडा, रूडकी रोड, मरेठ पर किये गये अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि **मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलर्स द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या-561, 562/(पी) मुकर्रबपुर पल्हैडा, रूडकी रोड, मरेठ** पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत लगभग 120 वर्ग फीट भूतल पर चिन्हित पार्क में एक कमरे के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) की धारा-26,27 व 28 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस/कार्य रोको आदेश प्रेषित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा न तो स्थल से सम्बन्धित स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध कराये गये है और न ही ले-आउट प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत निर्माण के विरूद्ध **दिनांक-10.02.2023** को ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किये जो चुके थे। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को क्रियान्वन किये जाने हेतु **दिनांक-15.04.2023, 17.05.2023, 15.06.2023, 15.07.2023 व 24.08.2023** की तिथि निर्धारित की गयी थी। परन्तु पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण ध्वस्तीकरण नही हो सका। जिस हेतु पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को क्रियान्वन किये जाने हेतु पुनः **दिनांक-**04.10.23 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन हेतु **दिनांक-**04.10.23 को प्रातः10:00 बजे थाना-पल्लवपुरम, मेरठ में मजिस्ट्रेट नामित करते हुए, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पी0ए0सी0 पुलिस व महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण रूप से पूर्ण करायी जा सकें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:-
1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर/देहात) को नियत तिथि पर मजिस्ट्रेट नामित करने हेतु।
3. पुलिस क्षेत्राधिकारी, पल्लवपुरम, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. थानाध्यक्ष-पल्लवपुरम, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त उप प्रभारी प्रवर्तन, समस्त अनुचर/मेट को मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।
6. नाजिर मेरठ विकास प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि पर प्रातः10:00 बजे जे0सी0बी0 एवं प्रवर्तन स्टॉफ हेतु वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।